समाहरणालय, सिवान
पत्र प्राप्ति के कार्यालय का नाम
पत्र प्रेषण संख्या
10 AUG 2019
जिलाधिकारी सिवान

कार्यालय अधीक्षक
आवती संख्या 33
दिनांक 13.08.19

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 01 सिवान

निविदा आमंत्रण सूचना– 01 वर्ष:– 2019–20

1.	विज्ञापनदाता का पदनाम एंव पता	:	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल– 01 सिवान
2.	परिमाण विपत्र बिक्री करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक– 19/08/19 से 20/08/19 के 1:00 बजे अपराह्न तक।
3.	निविदा जमा करने तिथि एवं समय	:	दिनांक– 21/08/19 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक– 21/08/19 को 3:30 बजे अपराह्न से।
5.	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:	1. सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल– 01, सीवान– महाराजगंज बड़हरिया, गोरेयाकोठी 2. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल,01– सिवान 3. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन अंचल, सारण प्रमण्डल, छपरा।
6.	निविदा जमा करने का स्थान	:	उपरोक्त कॉलम पाँच के अनुसार।
7.	कार्यो की विवरणी	:	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास, योजना।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	निविदा/ पुर्ननिविदा	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मुल्य (रूपये में)	[illegible]
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (माननीय विधायक श्री हेमनारायण साह)							
01	महाराजगंज	महाराजगंज प्रखड के बलिया ग्राम मॉझी में आजाद मिया के घर से लेंकर हरिजन टोली के तरफ जानेवाली सड़क में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा	968100.00	19100	1250	[illegible]
02	महाराजगज	महाराजगंज प्रखंड के देवरिया विशुनपुरा काली स्थान के बगल में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा	958900.00	19200	1250	6 माह
03	भगवानपुर हाट	भगवानपुर हाट विलासपुर नौवा टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा	959500.00	19200	1250	[illegible]
04	भगवानपुर हाट	भगवानपुर हाट ब्रम्हस्थान एन0एच0 101 से हरिजन टोली होते हुए जगदीशपुर जानेवाली सडक में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा	871600.00	17500	1250	2 [illegible]
05	महाराजगंज	महाराजगंज प्रखंड कसदेवरा में पंचायत धानुक टोला आंगनवाड़ी केन्द्र पर चबुतरा का निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा	178800.00	3600	750	[illegible]

06	भगवानपुर हाट	भगवानपुर हाट सरहरी से सिघौली जानेवाली सड़क में 2000 फिट ईटकरण कार्य।	पुर्ननिविदा	1384100.00	27700	2500	2 माह
07	भगवानपुर हाट	भगवानपुर हाट सरॉय पडौली नाहर (नाला) पर छठ घाट का निर्माणं कार्य	पुर्ननिविदा	762900.00	15300	1250	6 माह
08	महाराजगंज	प्रखंड महाराजगंज प्रखंड के माधोपुर तीन मोहानी दलित बस्ती में चबुतरा का निर्माण कार्य।		416300.00	8400	750	2 माह

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (माननीय विधान पार्षद श्री केदार नाथ पाण्डेय)

09	महारजगंज	महारजगंज के राहुल उच्च विद्यालय बलिया कर्णपुरा में चहारदिवारी का निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा	329700.00	6600	750	6 माह
10	भगवानपुर हाट	रौशन सिंह महाविद्यालय, अंचल भगवानपुर हाट में चाहरदिवारी का निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा	585400.00	11800	1250	6 माह
11	गोरेयाकोठी	गोरेयाकोठी अशर्फी लाल उच्च विद्यालय लक्ष्मीगंज छितौली अंचल गोरेयाकोठी में शौचालय निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा	258100.00	5200	750	6 माह
12		महाराजगंज गोरख सिंह, महाविद्यालय महाराजगंज में चहारदिवारी एवं गेट का निर्माण कार्य।		912000.00	18300	1250	6 माह

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (माननीय विधायक श्री ब्यासदेव प्रसा, सीवान)

13	सीवान	सीवान सदर प्रखंड के ग्राम पचौरा में पुलिया का निर्माण कार्य।		674200.00	14700	1250	3 माह
14	सीवान	सीवान सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज सियाड़ी के ग्राम सियाड़ी में चकरा पुल से लेकर बीगन व्यास के घर तक ईटकरण कार्य।		1273000.00	25500	2500	2 माह
15	सीवान	सीवान सदर प्रखंड के ग्राम सियाड़ी में श्री कैलास पंडित के घर से दूर्गा मंदिर तक पी0सी0सी0 का कार्य।		881700.00	17700	1250	2 माह
16	सीवान	सवान सदर वार्ड न0 16 में छठ घाट के पास चबुतरा का निर्माण कार्य।		114800.00	2300	500	2 माह
17	सीवान	सीवान सदर प्रखंड के पिठौरी पंचायत के ग्राम अघेला के शिवमंदिर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक मिटीकरण कार्य।		788200.00	15800	1250	2 माह
18	सीवान	सीवान सदर प्रखंड के अमलोरी एन0एच0 85 के पश्चिम अवस्थित सार्वजनिक पोखरा में छठ घाट का निर्माण कार्य।		734900.00	14700	1250	6 माह

19	सीवान	सीवान सदर प्रखंड के वार्ड न0 17 में विजय पाण्डेय के घर से लक्ष्मण तिवारी के घर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।		357000.00	7200	750	3 माह
20	सीवान	सीवान सदर प्रखंड के सदर के वार्ड न0 02 में छठ घाट का निर्माण कार्य।		1421200.00	28500	2500	6 माह
21	सीवान	सीवान सदर प्रखंड के वार्ड न0 17 में विनोद सिंह के मकान से शाहजी के मकान तक ईटकरण एवं नाला का निर्माण कार्य।		313400.00	6300	750	3 माह
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (माननीय विधायक श्री श्याम बहादूर सिंह, बड़हरिया)							
22		पचरूखी प्रखंड के ग्राम डिहिया में दुधहिया वर के पास से पश्चिम जानेवाली बॉध में ईटकरण कार्य।		1006800.00	20200	2500	2 माह
23		पचरूखी प्रखंड के सुरवाला में फखराना पुल से उतर जानेवाली बॉध में ईटकरण कार्य।		1256000.00	25200	2500	2 माह
24		पचरूखी प्रखंड के ग्राम भरतपुरा में फकराना पुल से पूरब के तरफ बंगरा जानेवाली बॉध में ईटकरण कार्य।		1256000.00	25200	2500	2 माह
25		पचरूखी प्रखंड के ग्राम भरतपुरा फकराना पुल से दक्षिण जानेवाली बॉध में ईटकरण कार्य।		1256000.00	25200	2500	2 माह
26		पचरूखी प्रखंड के सुरवाला में फखराना में खाई में पुलिया का निर्माण कार्य।		1435600.00	28800	2500	3 माह
27		पचरूखी प्रखंड के पंचायत भटवलिया में सीवान बड़हरिया पथ में के0पी0एस0 स्कूल के तरफ जानेवाली सड़क में ईटकरण कार्य।		1148800.00	23000	2500	2 माह
28		पचरूखी प्रखंड के पंचायत पपौर में रकसहा पोखरा से पश्चिम जानेवाली सड़क में ईटकरण कार्य।		1274900.00	25500	2500	2 माह
29		पचरूखी प्रखंड के भरतपुरा में फखराना पुल पर से पूरब के बाॅध पर उतर के तरफ जानेवाली बॉध में हुए ईटकरण कार्य का शेष भाग में ईटकरण कार्य।		1293800.00	25900	2500	2 माह
30		पचरूखी प्रखंड के पंचायत महुआरी पश्चिम टोला पीच रोड से दक्षिण जानेवाली सड़क में ईटकरण कार्य।		921000.00	18500	1250	2 माह
31		पचरूखी प्रखंड के पंचायत पिपरा में ग्राम बंगरा में मठिया टोला में चार मुहा पुल से दक्षिण जानेवाली बॉध में ईटकरण कार्य।		1256000.00	25200	2500	2 माह

32		पचरूखी प्रखंड के पंचायत पिपरा में ग्राम बंगरा में स्कूल के पास से दक्षिण जानेवाली बॉध में हुए ईटकरण का शेष भाग में ईटकरण कार्य।		1256000.00	25200	2500	2 माह
33		पचरूखी प्रखंड के ग्राम मिठनपुरा में पी0डी0एस0 चेमनी के पास उत्तर के तरफ जानेवाली बॉध में ईटकरण कार्य।		1293800.00	25900	2500	2 माह
34		पचरूखी प्रखंड के ग्राम मिहिया में दुधहिया वर के पास से पश्चिम जानेवाली बॉध पर ईटकरण कार्य।		1256000.00	25900	2500	2 माह
35		पचरूखी प्रखंड के ग्राम बंगरा में लोहा सिंह के खेत से पश्चिम जानेवाली बॉध में ईटकरण कार्य।		1384200.00	27700	2500	2 माह
36		पचरूखी प्रखंड के ग्राम भरतपुरा में पिराई घेराई से पश्चिम जानेवाली बॉध में ईटकरण कार्य।		730800.00	14700	1250	2 माह
37		पचरूखी प्रखंड के ग्राम भरतपुरा में कमलेश यादव के खेत से पूरब जानेवाली सड़क का ईटकरण कार्य।		955100.00	19200	1250	2 माह

8. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा संकेतिक है। निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त्त, नियम, अर्हता, अग्रधन का रूप एवं अन्य जानकारी के लिए कार्यालय सूचना पट्ट एवं परिमाण विपत्र बिक्री स्थल पर सम्पर्क किया जा सकता है। अगर निविदा प्राप्त एवं खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होता हैं तो अगले कार्य दिवस पर पूर्व समयानुसार निविदा प्राप्त एवं खोली जाएगी।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल--1, सिवान।।

9. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (संशोधित) एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 (क)के अन्तर्गत स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी –4 में सिवान जिला के लिए निबंधित संवेदको से मुहरबंद लिफाफे में कमांक–7 में वर्णित योजनाओं (15 लाख रूपये से कम लागत के असैनिक निर्माण कार्य) हेतु निविदा आमंत्रित हैं।

10. बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5931 (s) दिनांक 01.07.2015 द्वारा आरक्षण का ... प्रभावी हैं। (**अस्थायी रूप से स्थगित।**)

11. (क) बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 (क) (ii) के अनुसार किसी एक निविदादाता को एक समय अधिकतम तीन योजनाऍ या योजनाऍ जिनकी कुल लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये से अधिक न हो की सीमा तक की योजनाऍ के लिए कार्य आवंटित किया जा सकेगा।।

(ख) आरक्षण प्रावधान से आरक्षण कोटि के कार्यो के लिए आरक्षण कोटि के संवेदकों को एक वित्तीय वर्ष ...

एक निविदाकार को 25.00 लाख रूपये तक का ही कार्य आवंटित किया जा सकेगा। आरक्षण के बाद के शेष 50 प्रतिशत कार्य सभी वर्गो के लिए उपलब्ध होगा।

12. संवेदको को कार्य स्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादी की स्थिति, निर्माण सामग्री की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

13 (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्य से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नही होगे।

(ii) निविदा के लिए वैसे संवेदक अयोग्य समझे जायेगें जिनकों कार्य आवंटन का कार्यादेश प्राप्त हो चुका है, लेकिन 10 दिनों की अवधि बीत जाने के पश्चात भी एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ नहीं किए हैं।

(iii) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्त्तो को पूरा करने के बावजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि :–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण–पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड खराब रहा हो। अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्त्तो के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नही किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हो।

(iv) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर, कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/ निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

14. परिमाण विपत्र

(i) उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सिवान के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक सिवान में भुगतेय हो, स्वीकार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि की प्राप्ति कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी।

(ii) संवेदक को या संवेदक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न रहने पर ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।

15. निविदा में संवेदक द्वारा आवश्यक अग्रधन की राशि के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा सभी प्रमाण पत्र एवं कागजात स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करना आवश्यक है:–

(i) **अग्रधन**

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि जो राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र अथवा डाकघर के सावधि 3, वर्षीय सावधि जमा पासबुक के रूप में हो तथा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01 सिवान के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित (Pledged) हो (मूल में)।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(ii) जमा किए जाने वाले कागजात– (अभिप्रमाणित एवं स्व हस्ताक्षरित)

(क) स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी–4 में सिवान जिला हेतु सबंधित पथ प्रमंडल से निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(ख) आरक्षण कोटि के कार्यो के लिए निविदाकारो को सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(ग) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की छायाप्रति।

(घ) पैन कार्ड की छायाप्रति।

(च) G.S.T. निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(छ) सफल निविदा दाताओं से एकरारनामा के पूर्व श्रम निबंधन प्रमाण पत्र की मॉग की जाएगी।

(iii) घोषणा का शपथ पत्र (मूल में)

"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया हैं।

(ग) मेरा कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड खराब नहीं हैं अर्थात,आवंटित कार्य को अधुरा नही छोड़ा हैं।

(घ) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/ लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(च) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात, विवरणी सत्य हैं।

उपर्युक्त कंडिका 'क',' ख', 'ग' एव 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'च' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

(iv) आरक्षित कोटि के कार्यो के लिए निविदादाताओं को शपथ पत्र (मूल में) के माध्यम से चालु वित्तीय वर्ष में आरक्षण प्रावधान के आधार पर अब तक आवंटित कार्यो की कुल राशि की सूची एवं जाति के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जिसका प्रारूप निम्नवत है।

(क) मैं ....उम्र .... वर्ष..

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ....गॉव/शहर ....प्रखण्ड..............................

पोस्ट ऑफिस ....थाना ....अनुमंडल ....

जिला .... राज्य ....एतद द्वारा शपथ लेते हुए घोषणा करता/करता हूँ कि:--

पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सख्या–5931 (s) दिनांक 01.07.2015 में अंकित प्रावधान के अनुसार आरक्षण का लाभ लेते हुए वित्तीय वर्ष .... ने सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्यो की कुल राशि ....रू0 है जो रू0 25.00 लाख से कम हैं। वित्तीय वर्ष .... में आवंटित कार्यो की विवरण निम्नलिखित है।

क्र0	विभाग/प्राधिकार का नाम	आवंटित कार्य का नाम	आवंटित कार्य की राशि (रूपये में)

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु स्वयं शपथ पत्र का प्रारूप

मैं ....उम्र .... वर्ष..................................

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ....गॉव/शहर ....प्रखंड...................................

पोस्ट ऑफिस ....थाना ....अनुमंडल ....

जिला .... राज्य .... एतद द्वारा शपथ लेते हुए घोषणा करता/करता हूँ कि:-

मैं .... जाति से हूँ जो अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्तर्गत हैं।

प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत, जाली, नकली पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किया गया कार्य निरस्त कर दिया जायेगा एवं मेरे ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई, हमेशा के लिए कार्य से वांचित कर देने, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

(ग) अन्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग जाति हेतु स्वयं शपथ पत्र का प्रारूप

मैं ....उम्र .... वर्ष..................................

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ....गॉव/शहर ....प्रखंड...................................

पोस्ट ऑफिस ....थाना ....अनुमंडल ....

जिला .... राज्य .... एतद द्वारा शपथ लेते हुए घोषणा करता/करता हूँ कि:-

मैं .... जाति से हूँ जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनूसूची–1)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अन्तर्गत

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत, जाली, नकली पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किया गया कार्य निरस्त कर दिया जायेगा एवं मेरे ऊपर नियमानुसार कानुनी कार्रवाई, हमेशा के लिए कार्य से वंचित कर देने, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

नोटः– कमांकः– 15 का (iv) अस्थायी रूप से स्थगित।

(v) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए।

(ख) कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित राशि से 10% (दस प्रतिशत) से कम की निवेदित दर अमान्य होगी।

16. सशर्त्त निविदा मान्य नही होगी।

17. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18. **निविदा निष्पादन**

(i) यदि निविदा की कंडिका संख्या–15 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उनके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(ii) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा (निविदा निष्पादन का प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत) अभिलेखों के जाँचोपरान्त निविदा का निष्पादन किया जायेगा।

(iii) सफल न्यूनतम दरदाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(iv) निविदा में सफल एकाधिक संवेदको से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटस) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही आवश्यकतानुसार दर परक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

19. **एकरारनामा**

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 (कंडिका–23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरांत मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा।

20. **भुगतान की प्रक्रिया**

(क) कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान यथा प्रत्येक विपत्र के साथ तथा कार्य समाप्ति के उपरात, संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी संवेदक को स्वयं करानी होगी एवं उसकी सी०डी० सम्बंधित सहायक

अभियंता के माध्यम से प्रमंडल में जमा करानी होगी। जिसे निर्धारित वेबसाइट पर प्रत्येक विपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा अन्यथा इसके अभाव में कार्य का भुगतान रोक दिया जा सकता है।

(ख) आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। आवंटन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कोई दावा या ब्याज अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) आवंटन उपलब्ध रहने पर विशिष्टियों के अनुरूप कृत कार्य का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह में कम–से–कम एक बार निश्चित रूप से किया जायेगा।

21. अन्य शर्तें

(क) निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायगी।

(ख) संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र–सयंत्र की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

(ग) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80/100 ग्रेड पैक्ड बिटुमेन (समकक्ष विस्कोस्टी ग्रेड के) अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वंय अपनी लागत पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं। बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनीयों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घण्टें के अंदर कैश मेमो संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।

(घ) संवेदक के विपत्र से अन्य आवश्यक कटौतियों के अतिरिक्त 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।

(च) ओभर हेड मद के अंतर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रणं, गोदाम निर्माण– रख स्थल– कार्यालय का निर्माण, बिजली, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जाएगा।

(छ) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ज) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल–1, सिवान।

ज्ञापांक :– 1181 / .... दिनांक– 06-08-019

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सीवान/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सीवान को सूचनार्थ जिला के वेब साईड पर अपलोड करने हेतु समर्पित ।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल–1, सिवान।